प्रारुप–11

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में चण्डाक से मैईला तडीगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद पिथौरागढ़ में **चण्डाक से मैईला तडीगांव** तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 7235/ ।।।(2) /11–139 (प्रा0आ0)/2011 दिनांक 24/12/2011 द्वारा 4.00 किमी0 हेतु रु0 50.40 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मी0 चौडाई के अनुसार राज्य भूमि 1.935 हे0, नाप भूमि 1.665 हे0 प्रभावित होती है। उक्त मार्ग के निर्माण से मैईला तडीगांव की कुल 290 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उक्त मो0 मार्ग में दो समरेखन पर विचार किया गया। वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 1.935 हे0 राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य :–

1.राज्स के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्यपूर्ण है।

2. दुर्गम पहाडी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण लम्बाई में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नही है।

3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।

3. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पो में विचार किया जाना सम्भव नही हो पाता है दो संरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू वैज्ञानिक की रिर्पोट, मोटर मार्ग की लम्बाई कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वृक्षो के कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही संरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।